न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/1372/2005/अलवर

शेरसिंह पुत्र नवल जाति अहीर निवासी प्रीतमपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

अपीलार्थी

बनाम

1 मूलचन्द पुत्र नवल जाति अहीर निवासी प्रीतमपुरा
2 मु0 हीरा बेवा नवल अहीर निवासी प्रीतमपुरा
3 मु0 लीला पुत्री नवल जाति अहीर निवासी प्रीतमपुरा
4 मु0 मिसरा पुत्री नवल जाति अहीर विासी प्रीतमपुरा
5 बाबू पुत्र नवल जाति अहीर निवासी प्रीतमपुरा तहसील लक्ष्मणगढ
6 सन्तराम पुत्र भौरेलाल जाति यादव निवासी सारंगपुर
7 किशन पुत्र भौरेलाल जाति यादव निवासी सारंगपुर तहसील महुआ
(प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के नाम तर्क आदेश दि.30.3.17)
8 राजस्थान सरकार
9 उप पजीयक, कठूमर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री ओंकारलाल दवे वकील अपीलार्थी
श्री अशोक अग्रवाल वकील प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः.30.7.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 125/99 में पारित निर्णय दिनांक 2.3. 2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक वाद बाबत तकसीम मय दखलयाबी हस्ब दफा 53, 54 सहायक कलक्टर कठूमर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1901,

2114, 2121, 2123, 2149, 2154, 2184, 2206 कुल किता 8 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम सौखंर में स्थित है जो वादी के बुजुर्गो की पैदा करदा है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त हिन्दू परिवार है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सगे भाई हैं। विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति हैं। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है। विवादित आराजीयात का बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 मनमुटाव रखता है एवं राजीखुशी काश्त नहीं करने देता। दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजीयात में से आराजी खसरा नम्बर 2114, 2154, 2121 व 2123 का बेचान प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में कर दिया एवं दिनांक 13.6.89 को उप पंजीयक कठूमर के समक्ष पंजीबद्ध करा दिया जो बयनामा वादी के हितों केमुकाबले बातिल बेअसर है। वादी का विवादित आराजीयात में 1/4 हिस्सा है। अतः वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की तथा निर्णय दिनांक 15.11.99 से वादी का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 2.3. 2005 से स्वीकार की जाकर वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों एवं साक्ष्यों का सही रूप से विवेचन नहीं किया है। विवादित आराजीयात में से वादी मूलचन्द अपना हिस्सा पहले ही वाद संख्या 27/80 में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 15.5.80 एवं पारिवारिक समझौता के अनुसार ले चुका है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों के विपरीत व बिना किसी साक्ष्य के उक्त वाद संख्या 27/80 में प्राप्त खसरा नम्बर 2186 व 2119 को वादी मूलचन्द की पूर्व से ही होना माना है जबकि इसका कोई आधार व साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है। वाद संख्या 27/80 में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 15.5.80 एवं पारिवारिक समझौता से वादी बाध्य है एवं एस्टोपल का सिद्धान्त लागू होता है। विचारण न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद सही रूप से खारिज किया है। विवादित आराजीयात पैतृक मानी जाने पर कुल रकबा 29 बीघा 10 बिस्वा में से वादी मूलचन्द अपने हिस्से से ज्यादा 7 बीधा 19 बिस्वा भूमि पहले ही प्राप्त कर चुका है जिससे शेष भूमि में उसका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा जिससे वादी प्रत्यर्थी इस वाद में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। प्रतिवादी संख्या 1 मृतक नवल ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में पंजीकृत वसीयत की है जो साक्ष्यों से साबित कराई गई है। पंजीकृत

वसीयत पर संदेह नहीं किया जा सकता। मृतक नवल ने अपने हिस्से से कम भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 4,5 के पक्ष में किया है जो विधि अनुरूप है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 1866, 1993 आर.आर.डी. पेज 100, 2004 आर.आर.डी. पेज 501, 2016 आर.आर.टी0(1) पेज 56 एवं 2917 आर.आर.टी. (2) पेज 944 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति होना साक्ष्यों से साबित कराया गया है। पैतृक सम्पति में वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 का कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सहदायिकी से 1/4 हिस्सा बनता है जो वह प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद संख्या 27/80 स्थाई निषेधाज्ञा का वाद था जिसमें घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। उसमें प्रस्तुत राजीनामे में पैतृक सम्पति में से हिस्सा दिया जाना अंकित नहीं है। पारिवारिक समझौता तहसीलदार की उपस्थिति में नहीं किया गया है तथा इस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर भी नहीं है। विचारण न्यायालय ने कुछ तनकियात का निर्णय वादी प्रत्यर्थी के पक्ष में किया है तथा कुछ तनकियात का निर्णय वादी के विरूद्ध किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्यों एवं कानूनी स्थिति का विवेचन करते हुए अपील स्वीकार कर वाद डिक्री किया है। पैतृक सम्पति में वादी का 1/4 हिस्सा है तथा वह हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। राजीनामा एवं पारिवारिक समझौते से प्रत्यर्थी संख्या 1 बाध्य नहीं है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात मृतक नवल प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी प्रत्यर्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपीलार्थी एवं शेष प्रत्यथीगण संख्या 2 से 5 का पिता/पति था के खातेदारी में दर्ज रही हैं। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का विवेचन करते हुए उक्त आराजीयात को पैतृक सम्पति होना माना है। इसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार की अपील आदि प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति होना माना जाना निर्विवादित है।

7. वर्तमान प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि वादी विवादित आराजीयात कुल किता 8 कुल रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा में स्वंय का 1/4 हिस्सा होना क्लेम कर रहा है। इसके विपरीत

प्रतिवादीगण का तर्क है कि वाद संख्या 27/80 में हुए राजीनामे के अनुसार वादी पूर्व में ही अपना हिस्से से अधिक रकबा प्राप्त कर चुका है। इस संबंध में वाद संख्या 27/80 में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 15.5.80 प्रदर्श ए–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी नवल व प्रतिवादी मूलचन्द के मध्य आपसी राजीनामा हुआ है जो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है एवं न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है, के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2186 व 2119 मूलचन्द प्रतिवादी वर्तमान वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 को दी गई हैं तथा शेष विवादित खसरा नम्बर 1788, 1901, 2114, 2123, 2149, 2154, 2184, 2216, 2121 वादी नवल की तन्हा खातेदारी की मानी गई है। इसी अनुरूप उक्त वाद का निर्णय किया गया है। इस निर्णय के आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 438 प्रदर्श ए–2 मूलचन्द के नाम स्वीकार किया गया है। दिनांक 15.5.80 को ही पारिवारिक समझौता लिखा गया है जिसमें भी उक्त राजीनामा के अनुसार वर्तमान विवादित आराजीयात में मूलचन्द वर्तमान वादी प्रत्यर्थी का कोई हक व अधिकार नहीं होना माना गया है।

8. उक्त राजीनामा एवं पारिवारिक समझौता से वादी वर्तमान प्रत्यर्थी मूलचन्द बाध्य है एवं उस पर एस्टोपल का सिद्धान्त लागू होता है। चूंकि राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा तस्दीक किया गया है जिससे मूलचन्द पाबन्द है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपील स्वीकार की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों से परे यह माना है कि उक्त राजीनामा दिनांक 15.5.80 में दिये गये खसरा नम्बर 2186 व 2119 वादी मूलचन्द की थी। परन्तु इस तथ्य की पुष्टि किसी भी साक्ष्य से नहीं कराई गई है। उक्त राजीनामा दिनांक 15.5.80 के अनुसार खसरा नम्बर 2186 व 2119 मूलचन्द को दी गई है तथा शेष आराजीयात जो वर्तमान में विवादित आराजीयात है को नवल की तन्हा मानी गई हैं तथा मूलचन्द महाजमत नहीं करेगा, माना गया है। ऐसी स्थिति में बिना किसी साक्ष्य के आराजी खसरा नम्बर 2186 व 2119 पूर्व से ही मूलचन्द की होना माना जाना अनुचित एवं निराधार है।

9. विचारण न्यायालय ने सभी तनकियात का उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। क्योंकि वर्तमान वाद का का वादी प्रत्यर्थी मूलचन्द पैतृक सम्पति में अपने हिस्से में प्राप्त होने वाला हिस्सा वाद संख्या 27/80 में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 15. 5.80 के अनुसार प्राप्त कर चुका है एवं उसके आधार पर मूलचन्द के नाम नामान्तरकरण तस्दीक हो चुका है तथा उनका वह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार पैतृक सम्पति में एक बार हिस्सा प्राप्त करने के बाद शेष बची आराजीयात में पुनः हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता।

ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से हम यह अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं

10 अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 2.3.2005 निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलक्टर, कठूमर का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.99 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य